

पत्रांक - ELS-21/2020-
प्रेषक

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2020 ई०।

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय:- बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी स्व० सदानन्द राय (तृतीय मतदान पदाधिकारी) की मृत्यु होने के उपरान्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती शीला देवी को ₹15,00,000/- (पन्द्रह लाख रुपये) मात्र का भुगतान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- यह राशि मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-राज्य विधानसभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001060001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
- अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-3042-2/निर्वा०, सुपौल दिनांक 13.11.2020 द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-वि(27)पे०को०-78/2005-607 दिनांक 01.10.2020, संकल्प सं०- वि(27)पे०को०-78/2005-558/वि० दिनांक 06.06.2019 संकल्प सं०- वि(27)पे०को०-78/05-608/वि०(2) दिनांक 07.05.2014 एवं संकल्प सं०- वि(27) पे०को०-78/05-451/वि०(2) दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं०- वि(27) पे०को०-78/05-2796/वि० (2) दिनांक 01.04.2009 में निहित प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक-3846, दिनांक-03.10.2020 के आलोक में दी जा रही है।
- अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-राज्य विधानसभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001060001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा स्व० राय की आश्रिता पत्नी-श्रीमती शीला देवी, पति-स्व० सदानन्द राय, ग्राम-पोस्ट-वीरपुर, सा०-वीरपुर, वार्ड नं०-10, जिला-सुपौल को उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व श्रीमती शीला देवी से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि स्व० राय के मृत्यु के उपरान्त इस हेतु उन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुआ है।
- संचिका संख्या- ELS-21/2020, पृष्ठ- 05/टि० पर स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ELS-21/2020-

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- श्रीमती शीला देवी (पति-स्व० सदानन्द राय), ग्राम+पोस्ट-वीरपुर, सा०-वीरपुर, वार्ड नं०-10, जिला-सुपौल, बिहार-854340 को निबंधित डाक द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ELS-21/2020-

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ELS-21/2020-

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ELS-21/2020-

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरुद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ELS-21/2020-

पटना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- श्री अभिषेक कुमार, आई०टी० मैनेजर, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को CEO Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/12

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।